

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 35/2018

दायर दिनांक 31.01.2018



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

वादी	प्रतिवादीगण
1. गोमाराम पुत्र घींसाराम, आयु-60साल, जाति-जाट, निवासी-केरपुरा भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. मोहनीदेवी पत्नी भींवाराम, 2. रामेश्वरलाल पुत्र भींवाराम, 3. छोटूराम पुत्र भींवाराम, 4. जगदीश पुत्र भींवाराम, 5. अमराराम पुत्र भींवाराम, 6. मंजूदेवी पुत्री भींवाराम, 7. किसनाराम पुत्र घींसाराम, 8. मोहनाराम पुत्र घींसाराम, 9. गणेशाराम पुत्र घींसाराम, 10. रामी पुत्री घींसाराम, 11. लक्ष्मी पुत्री घींसाराम, 12. बरजी पुत्री घींसाराम, 13. अमरी पुत्री घींसाराम, 14. चुँकी पत्नी उदाराम, 15. हरदेवाराम पुत्र उदाराम, 16. गोगी पत्नी हनुमानाराम पुत्र उदाराम, 17. चंदन पुत्र हनुमानाराम, 18. राकेश पुत्र हनुमानाराम, 19. सुरेश पुत्र हनुमानाराम, 20. सुमन पुत्री हनुमानाराम, 21. गोपीराम पुत्र उदाराम, 22. भागूराम पुत्र उदाराम, 23. भँवरीदेवी पत्नी बालूराम, 24. हीराराम पुत्र बोदूराम, 25. छोटूराम पुत्र बोदूराम, 26. गिरधारी पुत्र बोदूराम, 27. सुखीदेवी पुत्री बोदूराम, 28. सुवादेवी पुत्री बोदूराम, 29. गोदूदेवी पुत्री बोदूराम, 30. चौथीदेवी पुत्री बोदूराम, 31. भँवरी पत्नी बालुराम पुत्र उदाराम, 32. केसर पुत्री बालूराम, समस्त,जाति-जाट, निवासी-केरपुरा भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 33. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम

**सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)**

(लगातार)

राजस्व-वाद, संख्या 35/2018
दायर दिनांक 31.01.2018, निर्णय दिनांक 18.06.2018
गोमाराम बनाम् मोहनीदेवी, वगैरा।

दावा
बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 32 उपस्थित।

--: निर्णय :-

दिनांक 18.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 31 की पैतृक सम्पत्ति शरहद मौजा केरपुरा में खसरा नम्बर 224 रकबा 37.10 बीघा, खसरा नम्बर 241 रकबा 84.05 बीघा, खसरा नम्बर 241/325 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 241/326 रकबा 16.00 बीघा, खसरा नम्बर 241/327 रकबा 01.07 बीघा, कुल रकबा 139.12 बीघा भूमि अवस्थित है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद केरपुरा में नजरीनक्शा अनुसार निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जावे:-

1. खसरा नम्बर 241 रकबा 84.05 बीघा में से मार्क "ए" भूमि रकबा 09.04 बीघा का वादी को व रकबा 03.03 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को व रकबा 03.04 बीघा का प्रतिवादी संख्या 07 को व रकबा 09.04 बीघा का प्रतिवादी संख्या 08 को व रकबा 09.04 बीघा का प्रतिवादी संख्या 09 को व रकबा 45.18 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 23 व 31 को खातेदार घोषित किया जावे।
2. खसरा नम्बर 241/326 रकबा 16.00 बीघा में से रकबा 06.00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 को व रकबा 06.00 का प्रतिवादी


सहायक कलेक्टर
डीबबाना (नागौर)

(नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 35/2018
दायर दिनांक 31.01.2018, निर्णय दिनांक 18.06.2018
गोमाराम बनाम् मोहनीदेवी, वगैरा।

संख्या 07 को तथा रकबा 04.00 का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 30 को खातेदार घोषित किया जावे।

3. खसरा नम्बर 224 रकबा 37.10 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 30 को खातेदार घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 33 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में इस वाद में हाजिर नहीं रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ-पत्र, नजरीनक्शा, नक्शा ट्रेश, जमाबन्दी ग्राम केरपुरा सम्वत् 2073-76 खेवट संख्या 43/4 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प-भदलिया में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकार को सुना गया। पक्षकारान् ने जरिये उप तहसीलदार मौलासर बन्टवारा स्कीम पेश की है, जिसमें दर्शितानुसार/वर्णितानुसार/अंकितानुसार खातेदारी घोषित करवाने हेतु निवेदन कर रहे हैं।

पक्षकारान् द्वारा जरिये उप तहसीलदार मौलासर के पेश बन्टवारा स्कीम मुताबिक, शरहद मौजा केरपुरा में उनके खेतों का बन्टवारा निम्नानुसार पक्षकारान् चाहते हैं:-

1. खसरा नम्बर 241 रकबा 84.05 बीघा में से रकबा 40.00 बीघा का वादी को व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एवं 07 ता 09 को व रकबा 40.00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 19, 21 ता 23 एवं 32 को व रकबा 02.10 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इस रकबे की शेष रकबा 01.15 बीघा भूमि रास्ते हेतु सामलाती उपयोगार्थ रखी जावे।
2. खसरा नम्बर 241/326 रकबा 16.00 बीघा में से रकबा 05.05 बीघा का वादी को व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एवं 07 ता 09 को व रकबा 05.05 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 19, 21 ता 23 एवं


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

राजस्व-वाद, संख्या 35/2018
 दाखल दिनांक 31.01.2018, निर्णय दिनांक 18.06.2018
 गोमाराम बनाम मोहनीदेवी, वगैरा।

- 32 व रकबा 05.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को खातेदार घोषित किया जावे तथा इस रकबे की शेष रकबा 0.05 बीघा भूमि को रास्ते हेतु सामलाती उपयोगार्थ रखी जावे।
3. खसरा नम्बर 224 रकबा 37.10 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को खातेदार घोषित किया जावे।
 4. खसरा नम्बर 241/325 रकबा 0.10 बीघा गैरमुमकिन बैरा सम्पूर्ण को सामलाती उपयोगार्थ रखा जावे।
 5. खसरा नम्बर 241/327 रकबा 01.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा सम्पूर्ण को सामलाती उपयोगार्थ रखा जावे।
 6. मन्जु पुत्री भीवाराम, सुमन पुत्री हनुमानाराम, सुखीदेवी, सुवटीदेवी, गोदावरी, चौधीदेवी पुत्रियों बोदूराम तथा रामी, लच्छी, बरजी, अमरी पुत्रियों धींसाराम का नाम उपर्युक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जावे।

मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् की निवेदन व इस्तदुआ पर मनन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया गया।


वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। मजमें आम में प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, प्रस्तुत मौका रिपोर्ट द्वारा पक्षकारान् मुताबिक दावा डिक्री किया जाना सही है तथा इसी अनुरूप दावा डिक्री सादिर किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

—: आदेश :-

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा केरपुरा में वादवर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, बन्टवारा स्कीम पेश द्वारा उप तहसीलदार मौलासर दिनांक 18.06.2018 में दर्शितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को निम्नानुसार खातेदारी दी जाती है:-


1. खसरा नम्बर 241 रकबा 84.05 बीघा में से रकबा 40.00 बीघा का वादी को व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एवं 07 ता 09 को व रकबा 40.00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 19, 21 ता 23 एवं 32 को व रकबा 02.10 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को स्वतन्त्र


 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (नागौर)


राजस्व-वाद, संख्या 35/2018
दायर दिनांक 31.01.2018, निर्णय दिनांक 18.06.2018
गोमाराम बनाम् मोहनीदेवी, वगैरा।

- खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकवे की शेष रकबा 01.15 बीघा भूमि रास्ते हेतु सामलाती रहेगी।
2. खसरा नम्बर 241/326 रकबा 16.00 बीघा में से रकबा 05.05 बीघा का वादी को व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एवं 07 ता 09 को व रकबा 05.05 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 19, 21 ता 23 एवं 32 व रकबा 05.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकवे की शेष रकबा 0.05 बीघा भूमि रास्ते हेतु सामलाती रहेगी।
 3. खसरा नम्बर 224 रकबा 37.10 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 4. खसरा नम्बर 241/325 रकबा 0.10 बीघा गैरमुमकिन बैरा सम्पूर्ण सामलाती रहेगा।
 5. खसरा नम्बर 241/327 रकबा 01.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा सम्पूर्ण सामलाती रहेगा।
 6. मन्जु पुत्री भीवाराम, सुमन पुत्री हनुमानाराम, सुखीदेवी, सुवटीदेवी, गोदावरी, चौथीदेवी पुत्रियाँ बोदूराम तथा रामी, लच्छी, वरजी, अमरी पुत्रियाँ घींसाराम का नाम उपर्युक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। बन्तवारा प्रस्ताव द्वारा उप तहसीलदार मौलासर दिनांक 18.06.2018, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक सहायक कलेक्टर
डीडवाना (मौलासर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-भदलिया

निर्णय, आज दिनांक 18.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक सहायक कलेक्टर
डीडवाना (मौलासर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-भदलिया

डिक्री वमुकद्दमें इब्दादाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
--: न्याय आपके द्वार, 2018: राजस्व कोर्ट कैम्प :-
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 35/2018

दायर दिनांक 31.01.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. गोमाराम पुत्र घींसाराम, आयु-60साल, जाति-जाट, निवासी-केरपुरा भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. मोहनीदेवी पत्नी भीवाराम, 2. रामेश्वरलाल पुत्र भीवाराम, 3. छोटूराम पुत्र भीवाराम, 4. जगदीश पुत्र भीवाराम, 5. अमराराम पुत्र भीवाराम, 6. मंजूदेवी पुत्री भीवाराम, 7. किसनाराम पुत्र घींसाराम, 8. मोहनाराम पुत्र घींसाराम, 9. गणेशाराम पुत्र घींसाराम, 10. रामी पुत्री घींसाराम, 11. लक्ष्मी पुत्री घींसाराम, 12. बरजी पुत्री घींसाराम, 13. अमरी पुत्री घींसाराम, 14. चुँकी पत्नी उदाराम, 15. हरदेवाराम पुत्र उदाराम, 16. गोगी पत्नी हनुमानाराम पुत्र उदाराम, 17. चंदन पुत्र हनुमानाराम, 18. राकेश पुत्र हनुमानाराम, 19. सुरेश पुत्र हनुमानाराम, 20. सुमन पुत्री हनुमानाराम, 21. गोपीराम पुत्र उदाराम, 22. भागूराम पुत्र उदाराम, 23. भँवरीदेवी पत्नी बालूराम, 24. हीराराम पुत्र बोदूराम, 25. छोटूराम पुत्र बोदूराम, 26. गिरधारी पुत्र बोदूराम, 27. सुखीदेवी पुत्री बोदूराम, 28. सुवादेवी पुत्री बोदूराम, 29. गोदूदेवी पुत्री बोदूराम, 30. चौथीदेवी पुत्री बोदूराम, 31. भँवरी पत्नी बालुराम पुत्र उदाराम, 32. केसर पुत्री बालूराम, समस्त, जाति-जाट, निवासी-केरपुरा भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 33. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।
	बनाम


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

दावा
बाबत घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 18.06.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 32 उपस्थित ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद मौजा केरपुरा में वादवर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, बन्टवारा स्कीम पेश द्वारा उप तहसीलदार मौलासर दिनांक 18.06.2018 में दर्शितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को निम्नानुसार खातेदारी दी जाती है:-

1. खसरा नम्बर 241 रकबा 84.05 बीघा में से रकबा 40.00 बीघा का वादी को व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एवं 07 ता 09 को व रकबा 40.00 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 19, 21 ता 23 एवं 32 को व रकबा 02.10 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकबे की शेष रकबा 01.15 बीघा भूमि रास्ते हेतु सामलाती रहेगी।
2. खसरा नम्बर 241/326 रकबा 16.00 बीघा में से रकबा 05.05 बीघा का वादी को व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 एवं 07 ता 09 को व रकबा 05.05 बीघा का प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 19, 21 ता 23 एवं 32 व रकबा 05.05 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस रकबे की शेष रकबा 0.05 बीघा भूमि रास्ते हेतु सामलाती रहेगी।
3. खसरा नम्बर 224 रकबा 37.10 बीघा सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या 24 ता 26 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 241/325 रकबा 0.10 बीघा गैरमुमकिन बैरा सम्पूर्ण सामलाती रहेगा।
5. खसरा नम्बर 241/327 रकबा 01.07 बीघा गैरमुमकिन बैरा सम्पूर्ण सामलाती रहेगा।
6. मन्जु पुत्री भीवाराम, सुमन पुत्री हनुमानाराम, सुखीदेवी, सुवटीदेवी, गोदावरी, चौथीदेवी पुत्रियाँ बोदूराम तथा रामी, लच्छी, बरजी, अमरी पुत्रियाँ घीसाराम का नाम उपर्युक्त खसरान् के राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। बन्टवारा प्रस्ताव द्वारा उप तहसीलदार मौलासर दिनांक 18.06.2018, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-.....
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डी.ड.वा.वा.
डी.ड.वा.वा. (नागौर)
कोर्ट कैम्प-भदालिया

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मिजान	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

- 2 -
सहायक कलेक्टर
डी.डी.प. (नागौर)
कोर्ट कैम्प-भदलिया

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांक: -35-2018 / रीडर / 2018 /

दिनांक 18.06.2018

प्रेषित:-

तहसीलदार
डीडवाना।


विषय: -निर्णय की पालना करने बाबत।

दावा

बाबत घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा- 88, 53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. गोमाराम पुत्र घींसाराम, आयु-60साल, जाति-जाट, निवासी-केरपुरा भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. मोहनीदेवी पत्नी भींवाराण, जाति-जाट, निवासी-केरपुरा भदलिया, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।


सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प-भदलिया